.CT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB SEC. (i)
Appearing on Page Nos. 2304—2318
Dated 4-11-95

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 1995

अधिसूचना

सा का.नि. 468.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 52) की धारा 8 की उपधाराओं (1) और (2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 23 की उपधाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (वित्तीय सलाहकार और समूह "क" तकनीकी पद) भर्ती विनियम, 1995 कहा जाये।

(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ये लागू होंगे।

2. परिभाषा:—इन नियमों में परिषद् का अर्थ है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्।

3. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—कथित पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में उल्लिखित है

4. भर्ती की पद्धति और अन्य मामले:—कथित पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और इनसे संबंधित मामले अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में उल्लिखित हैं।

5. अयोग्यता:—कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी विवाहिती से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, या

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते दूसरा विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है,

कथित पदों पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

परन्तु यदि परिषद् इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह संबंधित व्यक्ति तथा दूसरी पार्टी के स्वीय विधि के अन्तर्गत गैर-कानूनी नहीं है और इन विनियमों के अन्तर्गत छूट के अन्य कारण भी हैं तो फिर नियुक्ति की पात्रता को माना जा सकता है।

6. छूट का अधिकार:—जहां परिषद् इस मत की है कि ऐसा करना आवश्यक और उपयुक्त है तो तब वह लिखित कारणों के आधार पर तथा कार्यकारिणी समिति के परामर्श से इन्हीं विनियमों के किन्हीं उपबंधों में किसी भी वर्ग या श्रेणी में छूट प्रदान कर सकती है।

7. व्यावृत्ति:—परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य श्रेणियों के लिये जारी किये गये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों संबंधी आदेश इन विनियमों को प्रभावित नहीं करेंगे।

अनुसूची

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद या गैर-चयन पद है
1	1. वित्तीय सलाहकार	2 *1 (1995) *कार्यभार को देखते हुए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।	3 समूह "क" राजपत्रित गैर-लिपिकीय	4 5900-200-6700	5 लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा जोड़ का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों पर लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरने के लिए रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती हेतु पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण संबंधी ग्रेड	चयन समिति का गठन	भर्ती संबंधी वे परिस्थितियां जब संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श की जरूरत पड़े
11	12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा टिप्पणी : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इस प्रतिनियुक्ति से पहले की बाह्य संवर्ग पद की नियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : वे व्यक्ति जो अखिल भारतीय सेवाओं या संगठित समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं में नियमित आधार पर समकक्ष पद रखते हों या 3700-5000 में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले या सेवा सहित किसी अप्रचलित 4500-5700 वेतनमान के व्यक्ति जो वार्षिक बजट, लेखाओं आदि के तैयार करने के साथ वित्तीय मामलों के निपटान का अनुभव रखते हों आयु : आवेदनपत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 55 वर्ष से ज्यादा न हो ।	चयन समितियों का गठन निम्न प्रकार होगा : 1. परिषद के अध्यक्ष—अध्यक्ष 2. परिषद के उपाध्यक्ष—सदस्य 3. शिक्षा सचिव**—सदस्य 4. व्यय सचिव**—सदस्य 5-6. कार्यकारिणी समिति के दो सदस्य (†)—सदस्य 7-8. दो विशेषज्ञ (††)—सदस्य 9. परिषद के सदस्य सचिव—सदस्य **या इनके नामित व्यक्ति जो भारत सरकार के अपर सचिव पद से कम न हों । ††अध्यक्ष द्वारा नामित । (†) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (एच) में से सदस्य जिन्हें अध्यक्ष नामित करेंगे ।	

1	2	3	4	5
2. सलाहकार–1	*4(1995) *कार्यभार की मात्रा को देखते हुए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है ।	समूह "क" राजपत्रित गैर-लिपिकीय	5900-200-6700	लागू नहीं

6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

11	12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/खुले विज्ञापन द्वारा संविदा और सामंजनों का सामंजित करना (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि एक समय में 3 वर्ष होगी)	प्रतिनियुक्ति या संविदा पर स्थानांतरण : विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, केन्द्रीय/राज्य सरकारों, स्वायत्त संस्थाओं और सार्वजनिक निकाय उपक्रमों में समकक्ष ग्रेडों में या 5100-7300/4500-7300/	1. परिषद के अध्यक्ष–अध्यक्ष 2. परिषद के उपाध्यक्ष—सदस्य 3. शिक्षा सचिव**—सदस्य 4. व्यय सचिव**—सदस्य 5–6. कार्यकारिणी समिति के दो	लागू नहीं

indiacode

12	13
5100-6300/5100-5700/4500-5700 ग्रेड में या समान ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले व्यक्ति जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :— 1. अर्हताएं— विज्ञान/गणित/कंप्यूटर अनुप्रयोग/वाणिज्य और अर्थशास्त्र सहित प्रबंध विज्ञान/मेपजी/अनुप्रयुक्त कला/इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी/वास्तुकला और नगर योजना में मास्टर डिग्री और 2. अनुभव— केन्द्रीय/राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों/अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक निकाय उपक्रमों में शिक्षण/अनुसंधान, शैक्षिक योजना/प्रशासन, प्रशिक्षण आदि में 10 वर्ष का अनुभव । वे व्यक्ति जिनके पास डाक्टोरल डिग्री और/अथवा प्रकाशित अनुसंधान कार्य के साथ तकनीकी रिपोर्ट लिखने का प्रमाण है, उन्हें अधिमान दिया जायेगा । टिप्पण 1 : वे व्यक्ति जो प्राइवेट सैक्टर में काम करते हैं और उपर्युक्त अर्हताएं और अनुभव पूरा करते हैं, उन्हें संविदा के आधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जायेगा । टिप्पण 2 : वे व्यक्ति जो नियमित सेवा में नहीं हैं लेकिन शैक्षिक/अनुसंधान संस्थाओं में अवधि और संविदा के आधार पर कार्यरत हैं तथा उपर्युक्त अर्हताएं एवं अनुभव रखते हैं; उन पर भी संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा । आयु : आवेदनपत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 55 वर्ष से ज्यादा आयु न हो । टिप्पणी : सक्षम प्राधिकारी विज्ञापन के हर अवसर पर पद के लिये उपयुक्त विशेष अर्हताएं निश्चित कर सकेंगे ।	सदस्य (†)—सदस्य 7–8. दो विशेषज्ञ (‡)—सदस्य 9. परिषद के सदस्य-सचिव—सदस्य **या इनके नामित व्यक्ति जो भारत सरकार के अपर सचिव पद से कम न हों ‡अध्यक्ष द्वारा नामित †अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (एच) में से सदस्य जिन्हें अध्यक्ष नामित करेंगे ।

1	2	3	4	5
3. सलाहकार–II	*3(1995) *कार्यभार की मात्रा को देखते हुए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है ।	समूह "क" राजपत्रित गैर-लिपिकीय	5100-150-5700-200-6300	लागू नहीं

IndiaCode

6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

11	12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/ खुले विज्ञापन द्वारा संविदा और नामांकनों का आमंत्रित करना (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि एक समय में 3 वर्ष होगी)	प्रतिनियुक्ति या संविदा पर स्थानांतरण : विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, केन्द्रीय/राज्य सरकारों, स्वायत्त संस्थाओं और सार्वजनिक निकाय उपक्रमों में समकक्ष ग्रेडों में या 5100-5700/4500-5700/ 4500-7300 ग्रेडों में या 3700-5700/3700-5000 ग्रेड में या समान ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा वाले व्यक्ति जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :— 1. अर्हताएं— विज्ञान/गणित/कंप्यूटर अनुप्रयोग/ वाणिज्य और अर्थशास्त्र समेत प्रबंध विज्ञान/भेषजी/अनुप्रयुक्त कला/इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी/वास्तुकला और नगर योजना में मास्टर डिग्री और 2. अनुभव— केन्द्रीय/राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों/ अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक निकाय उपक्रमों में शिक्षण/अनुसंधान, शैक्षिक योजना/प्रशासन, प्रशिक्षण आदि में 10 वर्ष का अनुभव। वे व्यक्ति जिनके पास डाक्टोरल डिग्री और/अथवा प्रकाशित अनुसंधान कार्य के साथ तकनीकी रिपोर्ट लिखने का प्रमाण है, उन्हें अधिमान दिया जायेगा। टिप्पण 1 : वे व्यक्ति जो प्राइवेट सैक्टर में काम करते हैं और उपर्युक्त अर्हताएं और अनुभव पूरा करते हैं, उन्हें संविदा के आधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जायेगा। टिप्पणी 2 : वे व्यक्ति जो नियमित सेवा में नहीं हैं लेकिन शैक्षिक/ अनुसंधान संस्थाओं में अवधि और संविदा के आधार पर कार्यरत हैं तथा उपर्युक्त अर्हताएं एवं अनुभव रखते हैं; उन पर भी संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा। आयु : आवेदनपत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 55 वर्ष से ज्यादा आयु न हो।	1. परिषद के अध्यक्ष—अध्यक्ष 2. परिषद के उपाध्यक्ष—सदस्य 3. शिक्षा सचिव**—सदस्य 4. व्यय सचिव**—सदस्य 5-6. कार्यकारिणी समिति के दो सदस्य (†)—सदस्य 7-8. दो विशेषज्ञ (††)—सदस्य 9. परिषद् के सदस्य-सचिव—सदस्य **या इनके नामित व्यक्ति जो भारत सरकार के अपर सचिव पद से कम न हों। ††अध्यक्ष द्वारा नामित †अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (एच) में से सदस्य जिन्हें अध्यक्ष नामित करेंगे।	लागू नहीं

IndiaCode

12
टिप्पणी : सक्षम प्राधिकारी विज्ञापन के हर अवसर पर पद के लिये उपयुक्त विशेष अर्हताएं निश्चित कर सकेंगे ।

1	2	3	4	5
4 निदेशक	8*(1995) *कार्यभार की मात्रा को देखते हुए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है ।	समूह "क" राजपत्रित गैर-लिपिकीय	4500-150-5700	लागू नहीं

6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

11	12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/ खुले विज्ञापन द्वारा संविदा और नामांकनों का आमंत्रित करना (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि एक समय में 3 वर्ष होगी)	प्रतिनियुक्ति या संविदा पर स्थानांतरण विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, केन्द्रीय/राज्य सरकारों, स्वायत्त संस्थाओं और सार्वजनिक निकाय उपक्रमों में समकक्ष ग्रेडों में या 3700-5700/3700-5000 ग्रेड में या समान ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा वाले व्यक्ति जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :— 1. अर्हताएं : विज्ञान/गणित/कंप्यूटर अनुप्रयोग/ वाणिज्य और अर्थशास्त्र समेत प्रबंध विज्ञान/भेषजी/अनुप्रयुक्त कला/इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी/वास्तुकला में मास्टर डिग्री और 2. अनुभव : केन्द्रीय/राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों/ अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक निकाय उपक्रमों में शिक्षण/अनुसंधान शैक्षिक योजना/प्रशासन, प्रशिक्षण आदि में 8 वर्ष का अनुभव । वे व्यक्ति जिनके पास डॉक्टोरल डिग्री और/ अथवा प्रकाशित अनुसंधान कार्य के साथ तकनीकी रिपोर्टें लिखने का प्रमाण है, उन्हें अधिमान दिया जाएगा ।	1. परिषद् के अध्यक्ष —अध्यक्ष 2. परिषद् के उपाध्यक्ष —सदस्य 3. शिक्षा सचिव** —सदस्य 4. व्यय सचिव** —सदस्य 5-6. कार्यकारिणी समिति के दो सदस्य (†) —सदस्य 7-8 दो विशेषज्ञ (††) —सदस्य 9. परिषद् के सदस्य-सचिव —सदस्य **या इनके नामित व्यक्ति जो भारत सरकार के अपर सचिव पद से कम न हों । †अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (एच) से सदस्य जिन्हें अध्यक्ष नामित करेंगे । ††अध्यक्ष द्वारा नामित	लागू नहीं

12

टिप्पणी : 1. वे व्यक्ति जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते है और उपर्युक्त अर्हताएं और अनुभव पूरा करते हैं, उन्हें संविदा के आधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा।

टिप्पणी 2 : वे व्यक्ति जो नियमित सेवा में नहीं है लेकिन शैक्षिक/अनुसंधान संस्थाओं में अवधि और संविदा के आधार पर कार्यरत हैं तथा उपर्युक्त अर्हताएं एवं अनुभव रखते हैं; उनपर भी संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा।

आयु : आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 50 वर्ष से ज्यादा आयु न हो।

टिप्पणी : सक्षम प्राधिकारी विज्ञापन के हर अवसर पर पद के लिए उपयुक्त विशेष अर्हताएं निश्चित कर सकेंगे।

1	2	3	4	5
5. उपनिदेशक	11*(1995) *कार्यभार की मात्रा को देखते हुए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है,	समूह 'क' राजपत्रित गैर-लिपिकीय	3700-125-4950-150-5700	लागू नहीं

6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

11	12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/खुले विज्ञापन द्वारा संविदा और नामांकनों का आमंत्रित करना (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि एक समय में 3 वर्ष होगी)	प्रतिनियुक्ति या संविदा पर स्थानांतरण : विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, केंद्रीय/राज्य सरकारों, स्वायत्त संस्थाओं और सार्वजनिक निकाय उपक्रमों में समकक्ष ग्रेडों में या 3000-5000/3000-4500 या समान ग्रेडों में 3300 मूल वेतन पा रहे नियमित सेवा वाले व्यक्ति जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :—	1. परिषद् के अध्यक्ष—अध्यक्ष 2. परिषद के उपाध्यक्ष—सदस्य 3. शिक्षा सचिव—सदस्य** 4. व्यय सचिव—सदस्य** 5-6. कार्यकारिणी समिति के दो सदस्य (†)—सदस्य 7-8. दो विशेषज्ञ (††)—सदस्य 9. परिषद् के सदस्य-सचिव—सदस्य ** या इनके नामित व्यक्ति जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव पद से कम न हों	लागू नहीं

11	12	13	14
	1. अर्हताएं—		
	विज्ञान/गणित/कंप्यूटर अनुप्रयोग/ वाणिज्य और अर्थशास्त्र सहित प्रबंध विज्ञान/भेषजी/अनुप्रयुक्त कला/ इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी/वास्तुकला और नगर योजना में मास्टर डिग्री और	††अध्यक्ष द्वारा नामित †अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (एच) में से सदस्य जिन्हें अध्यक्ष नामित करेंगे।	
	2. अनुभव—		
	केंद्रीय/राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों/ अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक निकाय उपक्रमों में शिक्षण/अनुसंधान, शैक्षिक योजना/प्रशासन, प्रशिक्षण आदि में 6 वर्ष का अनुभव।		
	वे व्यक्ति जिनके पास डॉक्टोरल डिग्री और/अथवा प्रकाशित अनुसंधान कार्य के साथ तकनीकी रिपोर्ट लिखने का प्रमाण है, उन्हें अधिमान दिया जाएगा।		
	टिप्पणी 1 : वे व्यक्ति जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते है और उपर्युक्त अर्हताएं और अनुभव पूरा करते हैं, उन्हें संविदा के आधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा।		
	टिप्पणी 2 : वे व्यक्ति जो नियमित सेवा में नहीं हैं लेकिन शैक्षिक/ अनुसंधान संस्थाओं में अवधि और संविदा के आधार पर कार्यरत हैं तथा उपर्युक्त अर्हताएं एवं अनुभव रखते हैं; उन पर भी संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा।		
	आयु : आवेदनपत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 45 वर्ष से ज्यादा आयु न हो।		
	टिप्पणी : सक्षम प्राधिकारी विज्ञापन के हर अवसर पर पद के लिए उपर्युक्त विशेष अर्हताएं निश्चित कर सकेंगे।		

IndiaCode

1	2	3	4	5
6. सहायक निदेशक	*20(1995) *कार्यभार की मात्रा को देखते हुए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है ।	समूह 'क' राजपत्रित गैर-लिपिकीय	3000-100-3500-125-5000 रु०	लागू नहीं

6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

11	12	13	14

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/खुले विज्ञापन द्वारा संविदा और नामांकनों का आमंत्रित करना (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि एक समय में 3 वर्ष होगी)

प्रतिनियुक्ति या संविदा पर स्थानांतरण : विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षा संस्थाओं केंद्रीय/राज्य सरकारों, स्वायत्त संस्थाओं और सार्वजनिक निकाय उपक्रमों में समकक्ष ग्रेडों में या 3000–4500 रु० ग्रेड में दो वर्ष की या 2200–4000रु० के ग्रेड में या समान ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा वाले व्यक्ति जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :–

1. अर्हताएं–

विज्ञान/गणित/कंप्यूटर अनुप्रयोग/वाणिज्य और अर्थशास्त्र समेत प्रबंध विज्ञान/भेषजी/अनुप्रयुक्त कला/इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी/वास्तु-कला और नगर योजना में मास्टर डिग्री, और

2. अनुभव—

केंद्रीय/राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों/अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक निकाय उपक्रमों में शिक्षण/अनुसंधान शैक्षिक योजना/प्रशासन, प्रशिक्षण आदि में 4 वर्ष का अनुभव ।

वे व्यक्ति जिनके पास डॉक्टोरल डिग्री और/अथवा प्रकाशित अनुसंधान कार्य के साथ तकनीकी रिपोर्टें लिखने का प्रमाण है, उन्हें अधिमान दिया जाएगा ।

टिप्पणी 1. वे व्यक्ति जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और उपर्युक्त अर्हताएं और अनुभव

चयन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :

1. परिषद् के अध्यक्ष—अध्यक्ष
2. परिषद् के उपाध्यक्ष—सदस्य
3. शिक्षा सचिव*—सदस्य
4. व्यय सचिव** *—सदस्य–
5–6. कार्यकारिणी समिति के दो सदस्य (°)—सदस्य
7–8. दो विशेषज्ञ (°°)—सदस्य
9. परिषद् के सदस्य-सचिव—सदस्य

**या इनके नामित व्यक्ति जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव पद से कम न हों ।

°°अध्यक्ष द्वारा नामित

°अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (एच) में के सदस्य जिन्हें अध्यक्ष नामित करेंगे ।

IndiaCode

11	12	13	14

पूरा करते हैं, उन्हें संविदा के आधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा।

टिप्पणी 2. वे व्यक्ति जो नियमित सेवा में नहीं हैं लेकिन शैक्षिक/अनुसंधान संस्थाओं में अवधि और संविदा के आधार पर कार्यरत हैं तथा उपर्युक्त अर्हताएं एवं अनुभव रखते हैं; उन पर भी संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा।

आयु : आवेदनपत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 45 वर्ष से ज्यादा आयु न हो।

टिप्पणी : सक्षम प्राधिकारी विज्ञापन के हर अवसर पर पद के लिए उपयुक्त विशेष अर्हताएं निश्चित कर सकेगें।

IndiaCode

[सं. 1/1/बी-1/प्रशा. (एस)/94]

जे.पी. गुप्ता, सदस्य-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 1995

G.S.R. 468.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 23 read with sub-sections (1) and (2) of Section 8 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the All India Council for Technical Education (Financial Adviser and Group 'A' Technical posts) Recruitment Regulations, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—In these rules "Council" means the All India Council for Technical Education.

3. Number, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached to them shall be as specified in columns 2 to 4 of the Scheduled annexed to these regulations.

4. Method of recruitment and other matters.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Council may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt ny person from the operation of these regulations.

6. Power to relax.—Where the Council is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Executive Committee, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Council from time to time in this regard.

SCHEDULE

S. No.	Name of posts	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1		2	3	4	5
1.	Financial Adviser *Subject to variation dependent on work load.	*1 (1995)	Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	5900-200-6700.	Not applicable

Maximum age limit for direct recruits	Whether benefit of added year of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications prescribed for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	Composition of Selection Committee	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13	14
By transfer on deputation. Note : The period of deputation including period if any spent in other ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall not ordinarily exceed 5 years.	Transfer on deputation Persons belonging to the All India Services of organised Group 'A' Central Services holding analogous posts on regular basis or with 8 years regular service in grade of Rs. 3700—5000 or equivalent including service, if any, in the non-functional selection grade of Rs. 4500—5700 and with experience of handling Financial matters including preparation of Annual Budget, Accounts, etc. Age : not exceeding 55 yrs as on the last date for receipt of applications.	Constitution of Selection Committees will be as follows : 1. Chairman of Council—Chairman 2. Vice Chairman of the Council—Member 3. Education Secretry)**—Member 4. Expenditure Secretary)**—Member 5—6. Two members of Executive Committee (*)—Member 7-8. Two Experts†—Member 9. Member Secretry of the Council—Member **Or his nominee not below the rank of Additional Secretary, Government of India. (*) From amongst the members vide clause (h) of Sub-section (2) of section 12 of the All India Council for Technical Education Act to be nominated by the Chairman. † To be nominated by the Chairman.	Not applicable.

1	2	3	4	5
2. Adviser-I *Subject to variation dependent on work load.	*4 (1995)	Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	5900-200-6700	Not applicable.

6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12	13	14
By transfer on deputation/contract through open advertisement and inviting nominations (Tenure of deputation/contract shall be three years at a time).	Transfer on deputation or contract Persons in regular service from Universities/Institutions of higher education, Central/State Governments, Autonomous Bodies, and Public Sector Undertakings holding posts in analogous grades or with two years service in the grade of Rs. 5100-7300/4500-7300/5100-6300/5100-5700/4500-5700 or equivalent and prossessing the following qualifications and experience :— 1. Qualification— Master's Degree in any of the subjects of Science/Mathematics/Computer application/Management including Commerce and Economics/Pharmacy/Applied Arts/Enineering and Technology/Architecture and Town Planning, and 2. Experience— 10 years' experience in teaching/research, educational planning/Administration, training etc. in Central/State Governments, universities/other institutions of higher educations, autonomous bodies, and Public Sector Undertakings. Preference will be given to the persons with doctoral degree and/or published research work with evidence of writing the technical reports. Note 1 : Persons from Private Sector fulfilling the above qualifications and experience will also be considered for appointment on contractual basis. Note 2 : Persons not in regular service but holding tenurial and contractual positions in educational/research Institutions and possessing the above qualifications and experience will also be considered for appointment on contractual basis. Age : Not exceeding 55 years as on the last date for receipt of applications. Note : The competent authority may on each occasion of advertisement, decide the particular qualifications needed for the post.	1. Chairman of the Council—Chairman. 2. Vice Chairman of the Council—Member 3. Education Secretary**—Member 4. Expenditure Secretary**—Member 5-6. Two members of Executive Committee(*)—Member 7-8. Two Experts†—Member 9. Member Secretary of the Council—Member **Or his nominee not below the rank of Additional Secretary, Government of India. (*) From amongst the members vide clause (h) of Sub-section (2) of section 12 of the All India Council for Technical Education Act to be nominated by the Chairman. † To be nominated by the Chairman.	Not applicable

IndiaCode

1	2	3	4	5
3. Adviser-II.	*3 (1995)	Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	5100-150-5700-200-6300	Not applicable

*Subject to variation dependent on work load.

6	7	8	9	10
No applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12	13	14
By transfer on deputation/ contract through open advertisement and inviting nominations (Tenure of deputation/contract shal be three years at a time).	Transfer on deputation or contract Persons in regular service from Universities/Institutions of higher education, Central/State Governments, Autonomous Bodies, and Public Sector Undertakings holding posts in analogous grades or in the grades of Rs. 5100-5700/4500-5700/4500-7300 or with six years service in the grade of Rs. 3700-5700/3700-5000 or equivalent and possessing the following qualifications and experience :— 1. Qualification— Master's Degree in any of the subjects of Science/Mathematics/Computer application/Management including Commerce and Economics/Pharmacy/Applied Arts/Engineering and Technology/Architecture and Town Planning and 2. Experience— 10 years' experience in teaching/research, educational planning/Administration, training etc. in Central/ State Governments, universities/ other institutions of higher educations, autonomous bodies and Public Sector Undertakings. Preference will be given to the persons with doctoral degree and/or published research work with evidence of writing the technical reports. Note 1 : Persons from Private Sector fulfilling the above qualifications and experience will also be considered for appointment on contractual basis. Note 2 : Persons not in regular service but holding tenurial and contractual positions in educational/research institutions and possessing the above qualifications and experience will also be considered for appointment on contractual basis. Age : not exceeding 55 years as on the last date for receipt of applications. Note : The competent authority may on each occasion of Advertisement, decide the particular qualifications needed for the post.	1. Chairman of the Council—Chairman 2. Vice Chairman of the Council—Member 3. Education Secretary**—Member 4. Expenditure Secretary**—Member 5-6. Two Members of Executive Committee(*)—Member 7-8. Two Experts†—Member 9. Member Secretary of the Council—Member ** Or his nominee not below the rank of Additional Secretary, Government of India. (*) From amongst the members vide clause (h) of Sub-section (2) of section 12 of the All India Council for Technical Education Act to be nominated by the Chairman. † To be nominated by the Chairman.	Not applicabl

India Code

1	2	3	4	5
4. Director *Subject to variation dependent on work load.	*8(1995)	Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	4500-150-5700	Not applicable

6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12	13	14
By transfer on deputation/contract through open advertisement and inviting nominations (Tenure of deputation/contract shall be three years at a time.)	Transfer on deputation or contract : Persons in regular service from Universities/Institutions of higher education, Central/State Governments, Autonomous Bodies, and Public Sector Undertakings holding posts in analogous grades or with four years service in the grade of Rs. 3700—5700/3700—5000 or equivalent and possessing the following qualifications and experience :— 1. Qualification— Master's Degree in any of the subjects of Science/Mathematics/Computer application/Management including Commerce and Economics/Pharmacy Applied Arts/Engineering and Technology/Architecture and Town Planning, and 2. Experience— 8 years' experience in teaching/research, educational planning/Administration, training etc. in Central/State Governments, universities/other institutions of higher educations, autonomous bodies, and Public Sector Undertakings. Preference will be given to the persons with doctoral degree and/or published research work with evidence of writing the technical reports. Note 1 : Persons from Private Sector fulfilling the above qualifications and experience will also be considered for appointment on contractual basis. Note 2 : Persons not in regular service but holding tenurial and contractual positions in educational/research Institutions and possessing the above qualifications and experience will also be considered for appointment on contractual basis. Age : not exceeding 50 years as on the last date for receipt of applications. Note : The competent authority may on each occasion of advertisement, decide the particular qualifications needed for the post.	1. Chairman of the Council—Chairman 2. Vice Chairman of the Council—Member 3. Education Secretary**—Member 4. Expenditure Secretary**—Member 5–6. Two members of Executive Commitee (*)—Members 7–8. Two experts†—Member 9. Member Secretary of the Council—Member ** Or his nominee not below the rank of Additional Secretary, Government of India. (*) From amongst the members vide clause (h) of Sub-section (2) of section 12 of the All India Council for Technical Education Act to be nominated by the Chairman. † To be nominated by the Chairman.	Not applicable

1	2	3	4	5
5. Deputy Director	*11 (1995)	Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 3700-125-4950-150-5700	Not applicable

*Subject to variation dependent on workload.

6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12	13	14
By transfer on deputation/ contract through open advertisement and inviting nominations (Tenure of deputation/ contract shall be three-years at a time).	Transfer on deputation or contract : Persons in regular service from Universities/Institutions of higher education, Central/State Governments, Autonomous Bodies, and Public Sector Undertakings holding posts is analogous grades on regular basis or drawing basic pay of Rs. 3300/- in the grade of Rs. 3000—5000/3000—4500 or equivalent and possessing the following qualifications and experience: 1. Qualification: Master's Degree in any of the subjects of Science/Mathematics/Computer application/Management including Commerce and Economics/Pharmacy/ Applied Arts/Engineering and Technology/Architecture and Town Planning, and 2. Experience: 6 years' experience in teaching/research, educational planning/Administration, training etc. in Central/State Governments, universities/other institutions of higher educations, autonomous bodies, and Public Sector Undertakings. Preference will be given to the persons with doctoral degree and/or published research work with evidence of writing the technical reports. Note 1 : Persons from Private Sector fulfilling the above qualifications and experience will also be considered for appointment on contractual basis. Note 2 : Persons not in regular service but holding tenurial and contractual positions is education/research Institutions possessing the above qualifications and experience will also be considered for appointment on contractual basis. Age : Not exceeding 45 years as on the last date for receipt of applications. Note : The competent authority say on each occasion of advertisement, decide the particular qualifications needed for the post.	1. Chairman of the Council—Chairman 2. Vice Chairman of the Council—Member 3. Nominee of Education Society**—Member 4. Nominee of Expenditure Secretary **—Member 5-6. Two members of Executive Committee*—Member 7-8. Two Experts†—Member 9. Member Secretary of the Council—Member **Or his nominee not below the rank of Joint Secretary Government of India. †To be nominated by the Chairman. * From amongst the members vide clause (h) of Sub-section (2) of section 12 of the All India Council for Technical Education Act to be nominated by the Chairman.	Not applicable

Image Archive

1	2	3	4	5
6. Assistant Director	*20(1995)	Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	3000-100-3500-125-5000	Not applicable

*Subject to variation dependent on work load.

H

6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12	13	14
By transfer on deputation/ contract through open advertisement and inviting nominations (Tenure of deputation/contract shall be three years at a time).	Transfer on deputation or contract Persons in regular service from Universities/Institutions of higher education, Central/State Governments, Autonomous Bodies, and Public Sector Undertakings holding posts in analogous grades of with two years regular service in the grade of Rs. 3000—4500 or with seven years service in the grade of Rs. 2200—4000 or equivalent and possessing the following qualifications and experience: 1. Qualifications: Master's Degree in any of the subjects of Science/Mathematics/Computer application/Management including Commerce and Economics/Pharmacy/ Applied Arts/Engineering and Technology/Architecture and Town Planning, and 2. Experience : 4 years' experience in teaching/research, educational planning/Administration, training etc. in Central/State Governments universities/other institutions of higher educations, autonomous bodies and Public Sector Undertakings. Preference will be given to the persons with doctoral degree and/or published research work with evidence of writing the technical reports. Note 1 : Persons from Private Sector fulfilling the above qualifications and experience will also be considered for appointment on contractual basis. Note 2 : Persons not in regular service but holding tenurial and contractual positions in educational/research Institutions and possessing the above qualifications and experience will also be considered for appointment on contractual basis. Age : Not exceeding 45 years as on the last date for receipt of applications. Note : The competent authority may on each occasion of advertisement, decide the particular qualifications needed for the post.	1. Chairman of the Council—Chairman 2. Vice Chairman of the Council—Member 3. Nominee of Education Secretary**— Member 4. Nominee of Expenditure Secretary**— Member 5-6. Two members of Executive Committee(*)– Member 7-8. Two Experts Members 9. Member Secretary of the Council—Member **Or his nominee not below the rank of Joint Secretary, Government of India. *To be nominated by the Chairman. (*) From amongst the members vide clause (h) of Sub-section (2) of section 12 of the All India Council for Technical Education Act to be nominated by the Chairman.	Not applicable

[No. F.1/1/B-1/Admn. (S)/94]

J.P. GUPTA, Member Secy.

MGIPRRND—2528 AICTE/95—VIII—23-11-95—100.